-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में वर्ष-2023 में व्यक्ति को जान से मारने वाले 03 अभियुक्तों को दिलाई गई आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति को जान से मारने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 01.11.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के क्योटरा पहाड़ के रहने वाले चुनुवाद को अभियुक्तों द्वारा खेत में लगे बाड़ को उखाड़कर ट्रैक्टर निकलने के लिए रास्ता बनाने के विवाद को लेकर लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी आदि से मार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिससे व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 862/23 धारा 147/148/307/149/323/504/ 506/427/302 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरी0 अनूप कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. पप्पू निषाद उर्फ पप्पू विधायक पुत्र पुन्ना निषाद निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. राजेश निषाद उर्फ फत्तूलाल पुत्र पप्पू निषाद निवासी निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. राकेश निषाद पुत्र मेवालाल निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री श्रवण कुमार

विवेचक
निरी0 श्री अनूप कुमार दूबे

कोर्ट मोहर्रिर
शिप्रा सचान

पैरोकार
मु0आ0 दिनेश कुमार